सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 आश्विन 3, गुरुवार, शाके 1947–सितम्बर 25, 2025 अंक 26
Vol. 77 Asvina 3 , Thursday, Saka 1947–September 25, 2025 No. 26

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1/12/एफ. डी.ई.आर.187, दिनांक 10.4.57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता खांगसिंह पूनिया (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व खांगसिंह जाट (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में न्याय क्षेत्र प्रतापगढ़ (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वाराः–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों, मेरे पूर्व नाम खांगसिंह उपनाम जाट (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम खांगसिंह तथा उपनाम पूनिया ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम जाट (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम पूनिया द्वारा जाने जाए।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्द्वारा पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम खांगसिंह तथा उपनाम जाट (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में खांगसिंह नाम के रूप में तथा पूनिया उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे,दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम खांगसिंह उपनाम पूनिया के नाम से संबोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम खांगसिंह जाट तथा खांगसिंह पूनिया का वर्णन किया है तथा दिनांक 02.08.2025 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम खांगसिंह पूनिया द्वारा जो पूर्व में खांगसिंह जाट कहलाता था, हस्ताक्षर किये है।

साक्षीः–

1. राजेश सांभरिया, लिपिक ग्रेड–प्रथम,
   न्यायालय सीबीआई क्रम–3, जयपुर महानगर–प्रथम।
2. रोहन मीणा, लिपिक ग्रेड द्वितीय
   न्यायालय सीबीआई क्रम–3, जयपुर महानगर–प्रथम।

हस्ताक्षर
नया नामः– खांगसिंह पूनिया
(KHANG SINGH POONIA)
पुराना नामः– खांगसिंह जाट
(KHANG SINGH JAT)

प्रतिहस्ताक्षर
खगेन्द्र कुमार शर्मा
विशिष्ठ न्यायाधीश
सी.बी.आई. प्रकरण क्रम–3,
जयपुर महानगर– प्रथम (राज.)।

14109

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।